

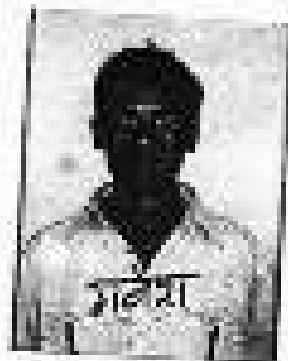
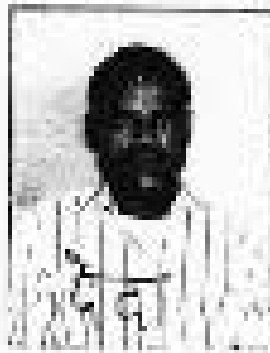
138.29

1-844103

1



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विवरण सितेख

प्रतिफल की वनराशि - ₹ 15,40,539/-
 वास्तविक मूल्य - ₹ 5,19,750/-
 अर्थात् बिने नये वनराशि लेम्प रु 1,54,100/-

- | | | | |
|----|------------------|---|--------------------------|
| 1. | भूमि का प्रकार | - | खेती |
| 2. | पट्टा | - | संयोजक |
| 3. | साल | - | अलगामक |
| 4. | संपत्ति का विवरण | - | भूमि खसरा संख्या 660 एका |

हस्ताक्षर
 निदेशक/संयोजक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

300493



0.297 से 0 का पुन भाग रिक्त

ग्राम- आठमापडा, परगना लखीसैत व
जिला लखनऊ।

5. नाम की ईसाई -

हेक्टर

6. लम्बाई का क्षेत्रफल -

0.297 हेक्टर

7. सड़क की लंबाई

मुल्तानपुर रोड व अमरगढ़ी का रो

समय 200 मीटर से अधिक

हस्ताक्षर
- निरंजन कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3110498



पञ्चिका : सप्तम शताब्दी-661

प्रथम पक्ष की शताब्दी- 2 : द्वितीय पक्ष की शताब्दी- 1

विक्रयार्थ व निवारण	क्रमांक व निवारण
1. देवा पुत्र नौलीतल निवाली ग्राम अहममऊ, पलना, तहसील व जिला तहसील। 2. वैमनाथ पुत्र तहसील निवासी	वनेश पुत्र निशीतल निवाली ग्राम निशीतल तहसील व जिला तहसील। 3. नौलीतल व जिला तहसील।

देवा पुत्र नौलीतल निवाली ग्राम अहममऊ, पलना, तहसील व जिला तहसील। 2. वैमनाथ पुत्र तहसील निवासी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

300499



दिल्लिला पुखा, मगर- अहमदनक, परगना तहसील व मिला तालनक।	
अहमदनक - नृपति	लवसाय - कृषि

यह विक्रय विलेख 1. देव पुत्र मोरीलाल निवासी-ग्राम अहमदनक, परगना, तहसील व मिला तालनक। 2. वैजनाथ पुत्र लालु निवासी -

देवा
- निरंजन देवनाथ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



जिला दुरवा, मकर-अद्वयनरु, परगना गहसीर व जिला लखनऊ

जिन्हें जाने विवेतावध कर गया है एवम् बनेश दुर निषीलात निवासी

बाप निर्मादुर भिदारी पोड नौनीव, गहसीर व जिला फतेहपुर जिन्हें जाने

केता नका गया है के मध्य निष्ठाहित किया गया।

देवी
- रि. प्र. वि. न्याय



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

300201



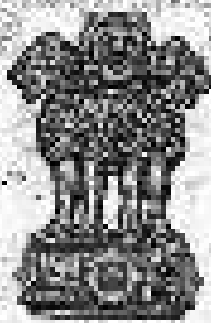
यह कि विहेलापन भूमि सलग संख्या ६६७ रकबा १९५७

दून गान रिक्त गान अठमापड, परगना लखनौ व जिला लखनऊ का
मालिक सांगित न करिह है तथा उपरोक्त सत्यपित प्रत्यक्षिह छतीनी
राम संख्या १११११० के अनुसार भूमि विहेलापन को नाम संकल्पीन
भूमिधर के रूप में इह है और रिक्ता को उक्त भूमि रिक्त्य करने का
पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विहेलापन को पैसो की मल्ल आवश्यकता है

हेला विहेलापन

भारतीय गैर न्यायिक भारत INDIA

रु. 500



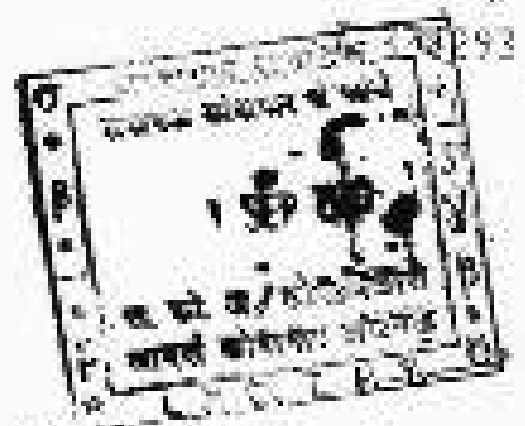
FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



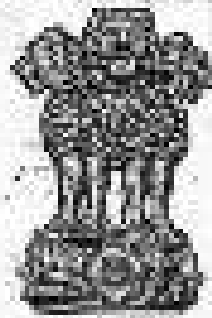
के पूर्व नहीं रख, छिद्र, निर्यात या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है।
विदेशीकरण ने उक्त भूमि पर कुर्क कण या अन्य प्रकार का कोई अण नहीं
रखा है। यदि कोई ऐसा कण भविष्य में निकलता है तो उसके निम्नोक्त
निर्देशावली व उसके सम्मान व विविध उत्तराधिकारी होंगे। उत्तरावली भूमि
या उत्तरावली गेट आन किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत
विवाद या गलत विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। निदेशावली के

देवा
विदेशीकरण

महेश

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 10 -

अलावा ऊपर सूचित की गयी अन्य मापदंडों का एकल, कि या बराबर इत्यादि नहीं है, एवं विवेकागण को उक्त विषय अनुरोध करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त स्थिति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य ₹ 15,40,539/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रमांक द्वारा विवेकागण की इस विवेका के अन्तर्गत की गई अनुसूची में वर्णित स्थिति के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी मापदंडों के विवेकागण यहाँ स्वागत।

दिनांक २१/९/९१
[Signature]

अज्ञेय



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 11 -

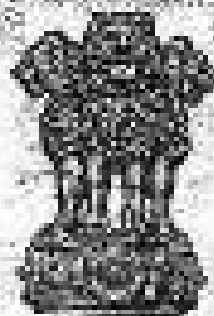
करता है, तत्पश्चात् उक्त विभाग उक्त ज़ेता के साथ उक्त वस्तु
भूमि, जिसका विवरण इस विवरण क्लिप के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत
दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एत विभाग ने विक्रयशुद्ध भूमि
नव मोर्चे पर नब्बल ज़ेता को बख्शी कर दिया गया है। अब उक्त आगामी
पर विभाग तथा उसके अधिकारी या कोई अधिकारी नहीं है। विभाग
ने विक्रयशुद्ध संपत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारी को सच

वि. वि. वि. वि. वि.
वि. वि. वि. वि. वि.

अतिरिक्त

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2 338270

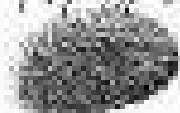


- 12 -

पूर्ववर्तन व हमेशा के लिए जेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब जेता
विक्रयशुद्ध सम्पत्ति एवं उसने व्ययक्त भाग को अपने एकाग्र सम्पत्ति व
अधिकार व ऊपर से सम्पत्ति से रूप में धारण एवं उपयोग व उपयोग
करने। विक्रयशुद्ध व उसके कारिगार उसने किसी प्रकार की अड़चन तथा
तर्क उत्पन्न नहीं करेगा एवं न ही कोई बर्तन कर सकते हैं और यदि विक्रयशुद्ध
सम्पत्ति अथवा कोई भी विक्रयशुद्ध के सम्पत्ति से जुड़े न धारण या

देदा

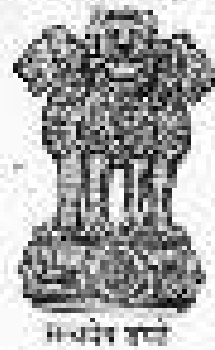
मि. वि. के. के. के. के.



उद्देश

भारतीय गैर न्यायिक भारत INDIA

रु. 500



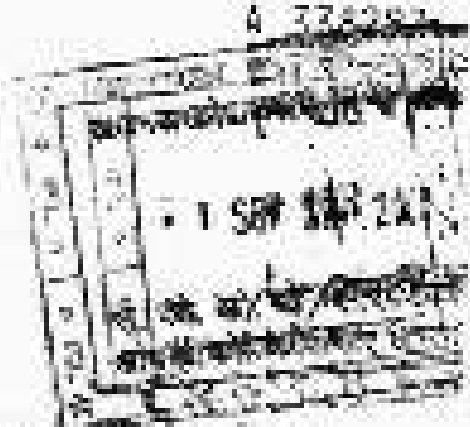
FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



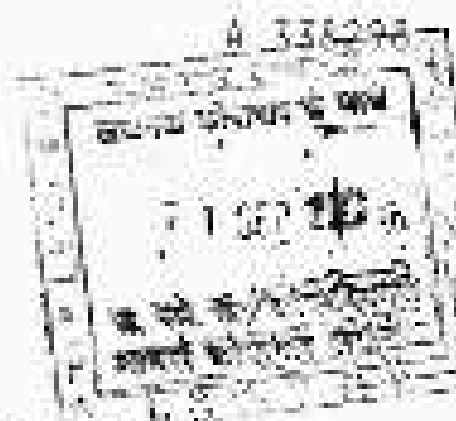
कानूनी अज्ञान या कानूनी दृष्टि से कारण सेवा या उसके निरक्षण
निष्पादकता इत्यादि के कर्तव्य या अधिकार या स्वतंत्रता निकल जाये तो
क्या उससे निरक्षण, निष्पादकता इत्यादि की यह एक सेवा कि यह
अपना सम्पत्ति गुप्तता नय एवं व सन्तान, विज्ञानता की नय, अथवा
सम्पत्ति से निरक्षे सम्पत्ति वसुध कर लें। उस स्थिति में निरक्षे एवं उसके
व्यक्तिन एवं व सन्तान से से वसुध होगा।

है दे। निरक्षे वसुध

उत्तर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 14 -

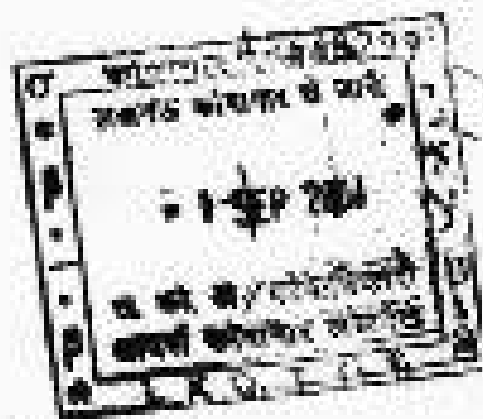
यह कि विज्ञापन यह भी घोषित करता है कि क्या शुद्ध तथ्यतः
विकास प्राधिकरण, तबनात तथा आगत आवास एवं विकास बोर्ड,
तथानत तथा अन्य किसी भी सहायता तथ्यतः और सहायता तथा आत
अधिपक्षित नहीं हो एवं है और न ही प्रस्तुत है।

६५
[Signature]
[Circular Stamp]

अलग



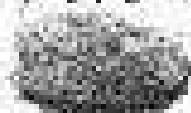
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 15 -

एक कि केवल विद्यमान सम्पत्ति की राजस्व धारण यन्त्र
अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रय की कोई अपत्ति न होगी
और यह कि इस विद्यमान लिखत के पूर्ण का अगर कोई व्यक्ति किसी तरह
का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको लिखतगत भुगतान से उबर
करेगा, लिखत की कोई अपत्ति न होगी।

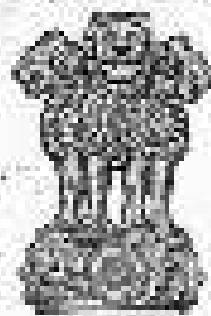
हस्ताक्षर
[Signature]



गोपनीय

भारतीय गैर न्यायिक भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



यह कि उपरोक्त अक्षर नम्बर एवं अङ्कगणक अनिवार्य रूप से

अतिरिक्त ग्राम के सम्पत्ति अक्षा 3 इन्चिए निर्धारित दरमिल रेट रु०

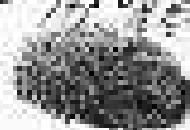
17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विहित भूमि 0.297 हेक्टेयर

की कुल मासुपत 5,19,750/- होती है तथा सेवक मूल्य, भूमि की

बनारस मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विद्युत मूल्य पर ही रु०

1,54,100/- बनारस स्थाप्य अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त

हस्ताक्षर



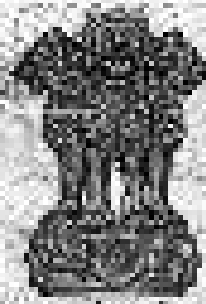
अज्ञेय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

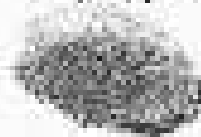
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



17

विक्रीत भूमि दूरी के उपयोग के लिए क्य की जा रही है। भूमि में कोई
रेड इनका अदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आपासीय गतिविधियां नहीं
चल रही है व कोई नलकूय, कुआ भी नहीं है, तथा 200 मीटर के
अर्धवृत्त में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग
त नलकूय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि तुलानपुर रोड से व
अनार अहोय पंच से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

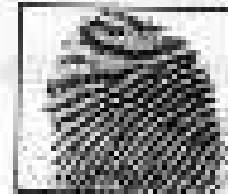
देहा निवासी



21/08/07

10-9-05
1000
1000

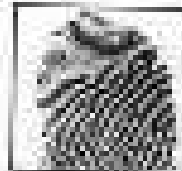
92



100

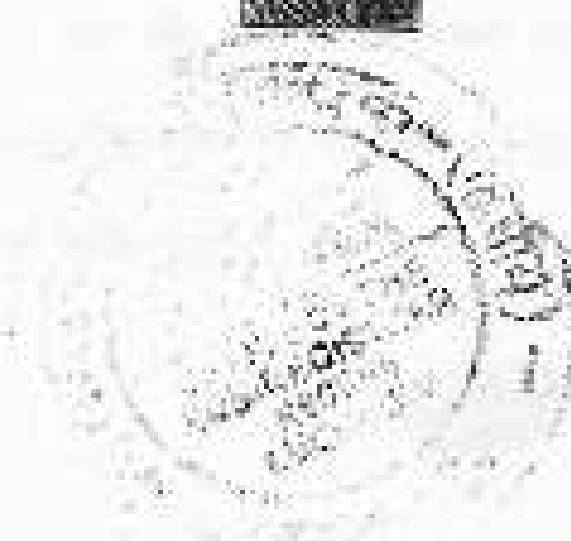
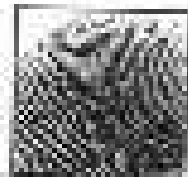


20



A. 20.

© 2001 by Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 105–112



विदेतागण एवं केता दोनों अनुपूर्वित जाति के सदस्य हैं। इस विरुद्ध विरोध के निवन्धन का समस्त न्याय केता द्वारा कान किया गया है।

सिलाना यह विरुद्ध पर विदेतागण ने केता को पक्ष में लिख दिया ताकि सन्तुष्ट रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट: गुप्तान विवरण

1. विदेतागण को रू० 7,70,260/- द्वारा बैंक संख्या 5955338 दिनांकित 10.09.2007 पंजाब नेशनल बैंक, हयराजान लखनऊ से केता को प्राप्त हुए।
2. विदेतागण को रू० 7,70,270/- द्वारा बैंक संख्या 5955339 दिनांकित 10.09.2007 पंजाब नेशनल बैंक, हयराजान लखनऊ से केता को प्राप्त हुए।

इस प्रकार विदेतागण को कुल विरुद्ध कुल 15,40,539/- (एक पचाह लाख पाँचास हजार नव सौ उन्नीस मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्रमाण विदेतागण स्वीकार करती है तथा अब विदेता को केता से कुछ भी लेना शेष नहीं है।

लखनऊ:

दिनांक : 10.09.2007

गवाह :- केता की पहचान की

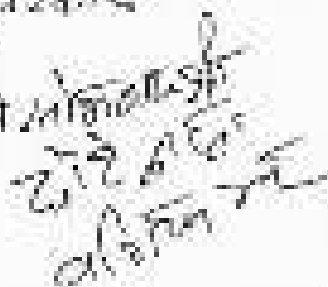
1. संसुता पाल, S/o- हरि राम-प्राध्व, लखनऊ, उत्तरप्रदेश

2. विदेता की पहचान की

साईपलता
(गोम प्रसाद)
सिविल कोर्ट लखनऊ

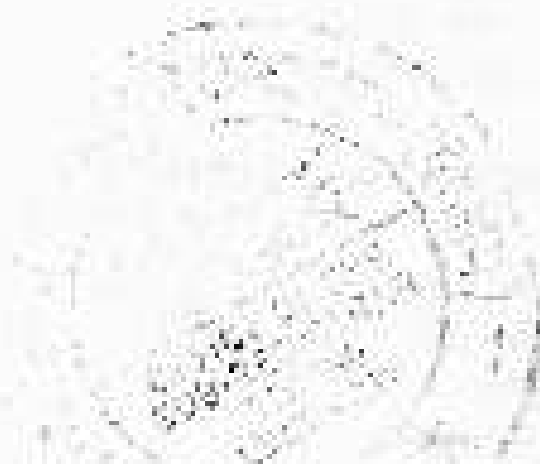

विदेतागण

प्रदेश
केता



मल्लिकार्जुन
(सिद्ध कुमार सिंह)
एडवोकेट

एम.एस.पाल
रघु निम्बराड (द्वितीय)
लखनऊ
(1993-94)

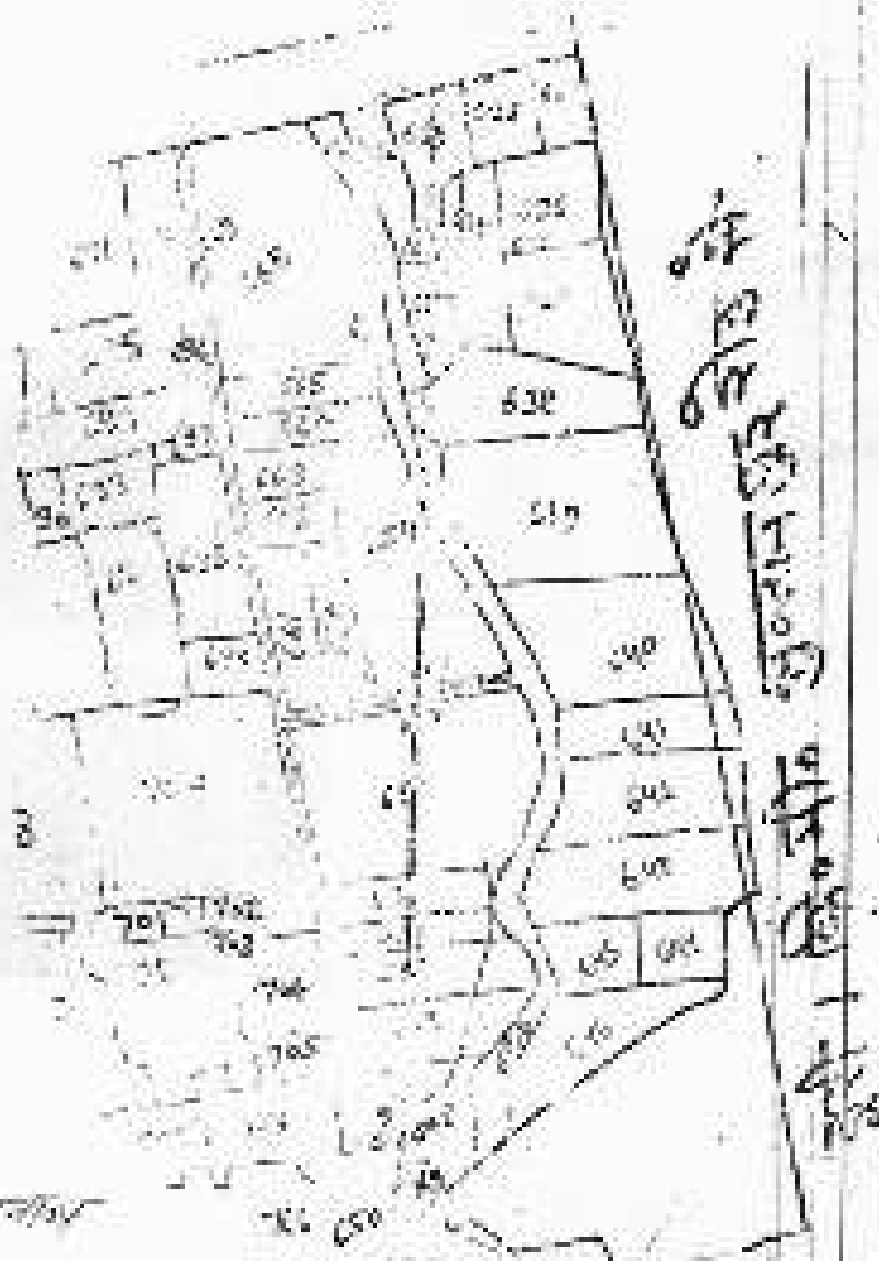


[illegible]

1742

0.2910 g

09-07-20



EST

Robert L. Taylor

Q. 2.
वि. क. १००

कीर्ति
गर्भ

1892

100

Registration No. 2462

2007

Book No. _____

0001 0a

✱ ✱ ✱

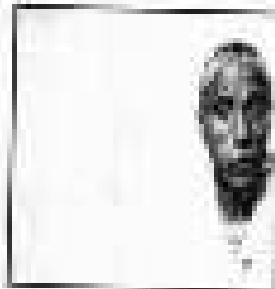
10-4 2007-07-07 10-4 2007-07-07



0102 ~~XXXXXX~~

10

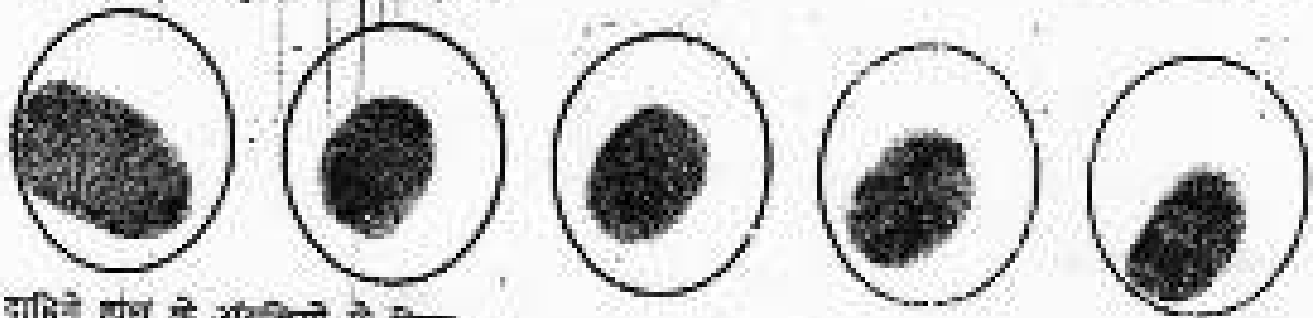
www.fishbase.org para ver más sobre el tema.



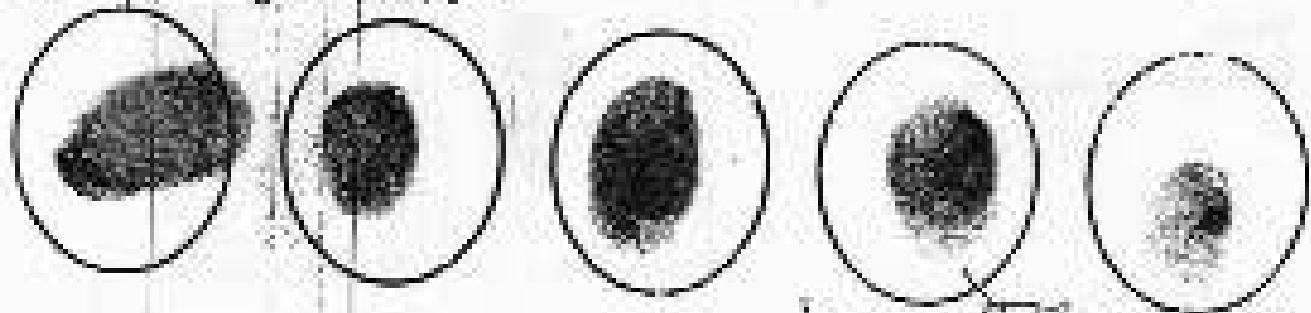
रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रत्युक्त/विशेष का नाम व पता :- डी. 312/21/49 ल. 24.33

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

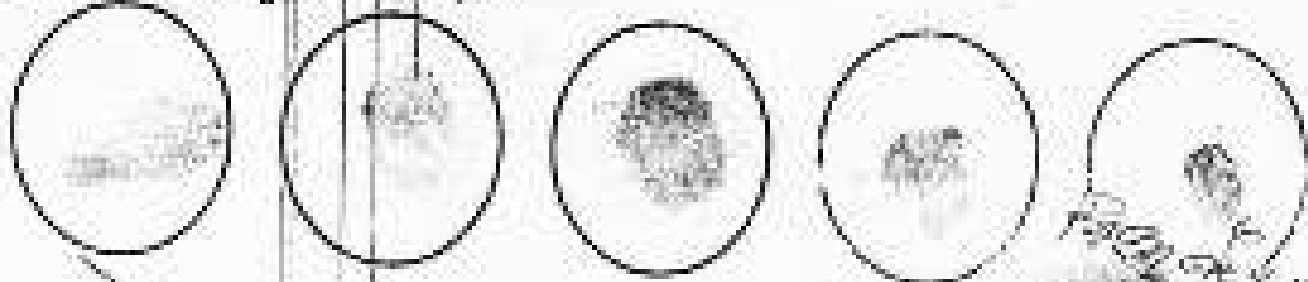


विशेष/प्रत्युक्त का नाम व पता :- डी. 312/21/49

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विशेष/प्रत्युक्त का नाम व पता :-

Korollarium No. 8491

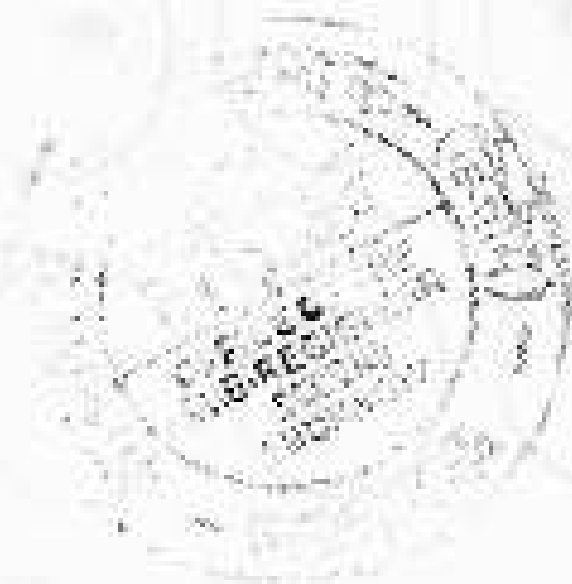
Year: 2007

Book No. 1

0001 1991

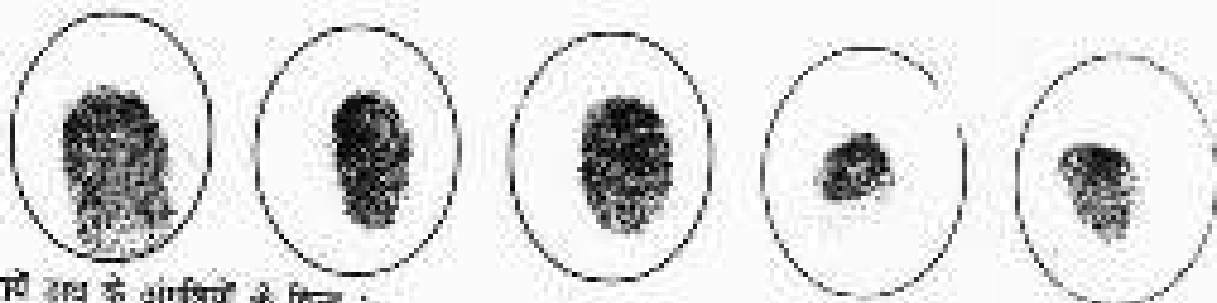
1991

am Bridge Point of the University
1991

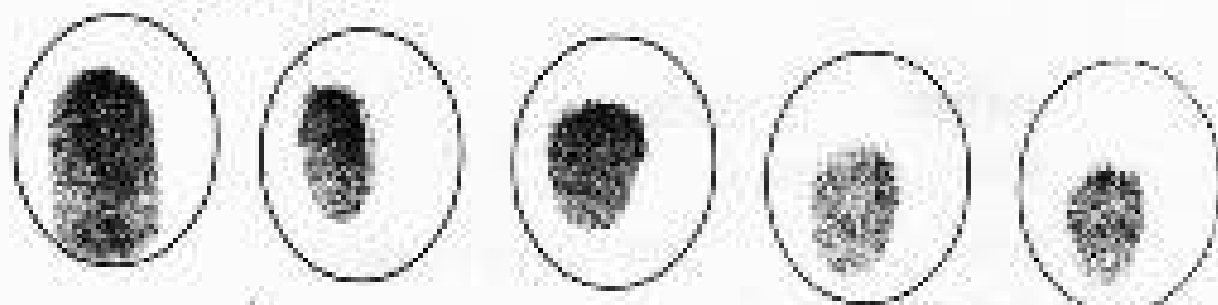


रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32 - ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

प्रस्तुतकर्ता/अभिज्ञा/रक्त के नाम व पता :- मिलेन/मिलन
 मिलेन/मिलन
 अपने हाथ के अंगुठियों के चिन्ह :-

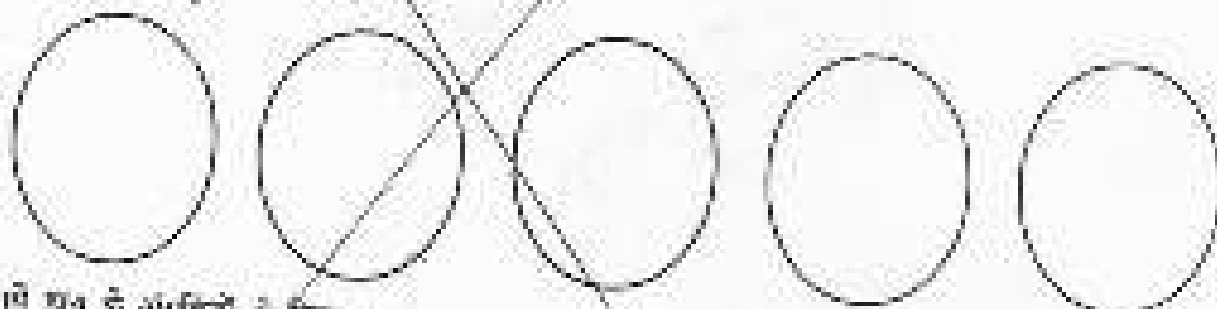


अपने हाथ के अंगुठियों के चिन्ह :-

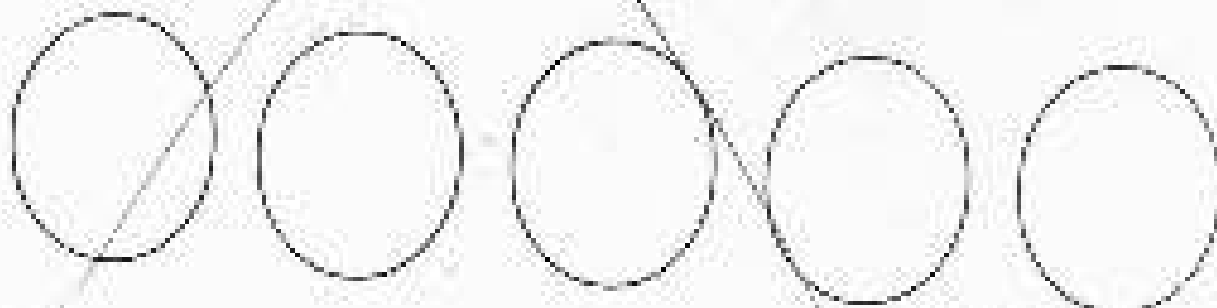


मिलेन/मिलन का नाम व पता :- मिलेन/मिलन
 मिलेन/मिलन

अपने हाथ के अंगुठियों के चिन्ह :-



अपने हाथ के अंगुठियों के चिन्ह :-



मिलेन/मिलन के नाम व पता :-

आज दिनांक 10/09/2007 को

पृष्ठ नं 1 निम्न सं 6903

पृष्ठ नं 131 व 172 पर सम्बन्ध 8491

संशोधित किया गया।

एच.एस.पात्र

उप निदेशक (द्वितीय)

लखनऊ

10/09/2007

